<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई।</u>

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–**11**/2024

निखिल जिन्दल प्रति वीरेन्द्र तिवारी

<u>दिनांक–29.01.2024</u>

पत्रावली आज विशेष लोक अदालत में पेश हुई।

प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–**11**/2024 में अभियुक्त **वीरेन्द्र तिवारी** के विरूद्ध अन्तिम आख्या संख्या–**1347/2023** अर्न्तगत धारा–**135** विद्युत अधिनियम, थाना एंटी पावर थेप्ट जालौन में प्रस्तुत की गयी है।

वादी को नोटिस प्रेषित की गयी। वादी द्वारा अन्तिम आख्या पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए कोई आपत्ति न होने एवं मामला समाप्त किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

थाना एंटी पावर थेफ्ट जालौन, जिला जालौन द्वारा अंतर्गत मु0अ0सं0–**2215/2023** धारा–135 विद्युत अधिनियम में दिनांक 01.01.2024 को प्रस्तुत अंतिम आख्या–**1347/2023** स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जावे।

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2024.01.29 16:11:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court